संख्या- 18/2015/ 936/अडतीस-7-2015-176नरेगा/2009

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 20 मई, 2015**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत लोकपालों को जनपद स्तर पर कार्यालय, तकनीकी एवं प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक: 16-01-2014 के प्रस्तर- 6, 6.1 एवं 6.2 में निम्न व्यवस्था है:-

6. LOCATION OF OFFICE AND ADMINISTRATIVE SUPPORT.

6.1 THE OFFICE OF MGNREGA OMBUDSMAN SHALL BE LOCATED AT THE DISTRICT HEADQUARTERS.

6.2 TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE SUPPORT WILL BE PROVIDED BY DRDA OR ANY OTHER BODY SPECIFIED BY THE STATE GOVERNMENT IN THIS BEHALF. ALL NECESSARY SUPPORT TO ENABLE THE OMBUDSMAN TO CARRY OUT THE ASIGNED FUCTIONS, INCLUDING SUPPORT STAFF, OFFICE EQUIPMENT, COMPLAINT BOX, AND TELEPHONE HELPLINE ETC., SHALL BE PROVIDED TO THE OMBUDSMAN BY THE DISTRICT AUTHORITY SPECIFIED BY THE STATE GOVERNMENT . THE STATE GOVERNMENT SHALL PROVIDE NECESSARY LEGAL SUPPORT TO CASES IN COURTS RELATING TO ACTIONS TAKEN IN OFFICIAL CAPACITY BY THE OMBUDSMAN.

2- अत: अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर लोकपाल के कार्यालय की स्थापना, तकनीकी एवं प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 18/2015/ 936(1)/अड्तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त परियोजना निदेशक, डीआरडीए/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।